भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1586

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

वृक्षों के विनाश और मृदा क्षरण का प्रभाव

1586. श्री सुनील बोस:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि वृक्षों के अंधाधुंध विनाश और मृदा क्षरण के कारण नदियों में गाद जमने की समस्या बढ़ गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इससे जल स्रोतों पर गंभीर प्रभाव पड़ा हे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वृक्षों के बड़े पैमाने पर विनाश और मृदा क्षरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं।किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): नदी में कटाव, गति और तलछट का जमाव नदी के प्राकृतिक विनियमन कार्य हैं। नदियाँ अपने साथ लाए गए गाद भार और जमा हुई गाद भार के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी का संचालन बना रहता है। वनों और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। वनों और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा के लिए कानूनी संरचनाएं हैं जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और राज्य वन अधिनियम और नियम शामिल हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के तहत वनों और पेड़ों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभिन्न योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नगर वन योजना और "तटीय आवासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी)"

के माध्यम से वनरोपण और वनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के प्रयासों में भी सहायता करता है। "प्रतिपूरक वनरोपण निधि (कैम्पा)" का उपयोग करके वनरोपण गतिविधियाँ भी बड़े पैमाने पर की जाती हैं।

इसके अलावा, बाढ़ प्रबंधन और कटाव निरोधक योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार तकनीकी सहायता के साथ-साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करती है और बढ़ावा देती है। केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव निरोधक, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव निरोधक आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जिसे बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" के एक घटक के रूप में जारी रखा गया और इसे 2021-22 से 2025-26 के दौरान और आगे बढ़ाया गया है।

नदी मार्गों और जल निकायों में तलछट के व्यापक और समग्र प्रबंधन के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक परामर्श करके "तलछट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (एनएफएसएम)" तैयार की है। इसका जोर गाद हटाने की बजाय गाद उत्पादन को कम करने और तकनीकी नवाचारों और सर्वोत्तम तरीकों को बढ़ावा देने पर है। यह रूपरेखा पर्यावरण और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन योजना के माध्यम से तलछट प्रबंधन पर जोर देती है।

*****